N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0108 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/06/2024 19:18 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/06/2024
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:05 बजे **Time To (समय तक):** 13:44 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/06/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 05/06/2024 19:18:13 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 550 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b) **Address(पता):** HADI RANI CIRCLE, UDAIPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** PRABHU KUMAR
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOVINDRAM PRAJAPAT
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KESULI, KHAMNOUR, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KESULI, KHAMNOUR, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MUKESH KUMAR CHODHARY		पिता:BHURA RAM CHODHARY	1. JAYANIYO KA BAAS,KISHANGADH RENWAL,JAIPUR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 10,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय , वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2024 समय करीब 01.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री प्रभु कुमार पुत्र श्री गोविन्दराम जी जाति प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासी गांव केशुली, थाना खमनौर, जिला राजसमन्द ने ब्यूरो कार्यालय एसयू, उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि " मैं प्रभु कुमार पुत्र श्री गोविन्दराम जी जाति प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासी गांव केसुली, थाना खमनौर, जिला राजसमन्द का रहने वाला हू । मैं सिद्वी विनायक बस ऐजन्सी में ट्रावेल्स बस रजिस्टेशन नम्बर आरजे-22-पीए-4579 को करीब दो साल से चला रहा हू, उक्त बस के संचालन व अन्य सभी प्रकार के विधिक कार्य को करने का पॉवर मेरे नाम से मैंने ले रखा है। दिनांक 12.04.2024 को मैं ट्रावेल्स बस रजिस्टेशन नम्बर आरजे-22-पीए-4579 में सवारिया लेकर आमेट से मुम्बई की तरफ रवाना हुआ। उदयपुर पहुॅचने पर पारस तिराहा के आगे राडाजी बावजी के स्थान के पास में बस को पुलिस थाना सविना द्वारा की जा रही नाकाबन्दी में रोका, उसके बाद रामअवतार जी सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मियो ने बस की तलाशी ली तो बस में लगभग 22 पेटी अग्रेजी शराब की होने से बस की सवारियो को वही उतार कर मुझे व मेरे साथी ड्राईवर श्री लाल सिंह को बस के साथ पुलिस थाना सविना लेकर गये। हम दोनो के उपर आबकारी अधिनियम का मुकदमा नम्बर 196/2024 थाना सविना पर दर्ज कर बस जप्त कर लिया। हम दोनो को जेल भेज दिया दिनांक 22.04.2024 को हम दोनो जमानत पर जेल से बाहर आये। तत्पश्चात मैंने वकील के माध्यम से बस को पुलिस थाना सविना से छुडाने के लिये आबकारी विभाग उदयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आबकारी विभाग द्वारा एक फॉर्म देकर सविना थाने से भरवाने के लिये कहा। मैं दिनांक 28.04.2024 को फॉर्म भरवाने के लिये पुलिस थाना सविना जाकर श्री रामावतार जी सब इंस्पेक्टर से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि मालखाना का काम करने वाला जवान मुकेश तुम्हारा काम कर देगा। जिस पर मैं पुलिसकर्मी मुकेश जी से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि मैं तेरा सब काम कर दुंगा तु खर्चो पानी कर देना। मैं उक्त पुलिस वाले को रिश्वत राशि नही देना चाहता हू , उन्हे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू । मेरी मुकेश पुलिस वाले से कोई आपसी रंजीश ये को पुलिस थाना सविना के रामअवतार जी सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मियो ने रोककर बस की तलाशी ली तो बस में लगभग 22 पेटी अग्रेजी शराब की होने से बस की सवारियो को वही उतार कर मुझे व मेरे साथी ड्राईवर श्री लाल सिंह को बस के साथ पुलिस थाना सविना लेकर गये। हम दोनो के के विरूद्ध पुलिस थाना सविना में आबकारी का मुकदमा दर्ज कर हमें जेल भेज दिया। दिनांक 22.04.2024 को हम दोनो जमानत पर जेल से बाहर आये। उक्त ट्रावेल्स बस के संचालन व विधिक कार्य संबंधी पॉवर मेरे नाम से होने से वकील के माध्यम से बस को पुलिस थाना सविना से छुडाने के लिये आबकारी विभाग उदयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आबकारी विभाग द्वारा एक फॉर्म देकर सविना थाने से भरवाकर लाने के लिये कहा। मैं दिनांक 28.04.2024 को फॉर्म भरवाने के लिये पुलिस थाना सविना जाकर श्री रामावतार जी सब इंस्पेक्टर से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि मालखाना का काम करने वाला जवान मुकेश तुम्हारा काम कर देगा। जिस पर मैं पुलिसकर्मी मुकेश जी से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि मैं तेरा सब काम कर दुंगा तु खर्चो पानी कर देना। मुकेश जी ने मुझसे फॉर्म भर कर देने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की। परिवादी की रिपोर्ट एवं मजीद पूछताछ से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध का पाया जाने से परिवादी श्री प्रभु कुमार को पुलिस थाना सविना के श्री रामावतार जी सब इंस्पेक्टर व कानि श्री मुकेश कुमार से रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी पुलिस थाना सविना जाकर उक्त दोनो पुलिस वालो से वार्ता कर सकता हॅू। जिस पर श्री प्रदीप भण्डारी कानि को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड के कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री प्रभु कुमार से आपस में परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर सुरक्षित करवाये। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया को समझाया गया एवं परिवादी के साथ श्री प्रदीप कानि को मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु समय करीबन 02.55 पीएम पर पुलिस थाना सविना की ओर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 04.51 पीएम पर परिवादी व श्री प्रदीप कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित कार्यालय हुए। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री प्रदीप कानि द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत कर बताया कि मैं व परिवादी ब्यूरो इकाई से रवाना होकर पुलिस थाना सविना के पास पहुचे जहॉं समय करीबन 03.24 पीएम पर मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को दिया व मांग सत्यापन वार्ता हेतु पुलिस थाना सविना की

तरफ रवाना किया मैं आस-पास ही अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के इन्तजार में रहा। समय करीब 03.51 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया और डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुझे दिया, जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा, उसके बाद परिवादी ने बताया कि "मैंने पुलिस थाना सविना के अन्दर जाकर रामावतार जी के बारे में पूछा तो थाने के अन्य जवान व मुकेश जी ने बताया रामावतार जी अवकाश पर है, कब आयेंगे इसके बारे में नही पता है। उसके बाद मुकेश कानि ने कहा कि तुम्हारा काम मैं ही करूंगा आबकारी विभाग से आया हुआ फॉर्म भी मेरे पास में ही है तुम मुझे दस हजार रूपये दे देना मैं तुम्हारा फॉर्म भरकर सोमवार को आबकारी विभाग में भेज दुंगा।" उसके बाद मैं व परिवादी वहाँ से रवाना होकर कार्यालय पर उपस्थित आये हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से पूछा गया तो परिवादी ने भी श्री प्रदीप कानि द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो कानि एवं परिवादी के बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हुई। आरोपी द्वारा परिवादी को सोमवार को बुलाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनियता बरतने की एवं संदिग्ध श्री मुकेश कानि को दी जाने वाली रिश्वत राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 03.06.2024 को प्रातः 09.00 ए.एम. कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत देकर रूकसत किया गया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। मामले हाजा में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर दिनांक 03.06.2024 को ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने हेतु स्वतंत्र गवाहो को पाबन्द किया गया। तत्पश्चात दिनांक 03.06.2024 समय 09.00 एएम पर कार्यालय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर पुत्र श्री शंकरलाल बुनकर उम्र 53 वर्ष निवासी मकान नं. 4, तुलसी नगर, हिरणमगरी सेक्टर नं. 5, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर व श्री अंकित शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा उम्र 41 वर्ष निवासी स्थायी पता 649, 12, सी रोड सरदारपुरा पुलिस थाना सरदारपुरा जिला जोधपुर हाल निवासी 97, मोतीमगरी स्कीम, उदयपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर उपस्थित आये। जिनसे ब्यूरो द्वारा की जा रही गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति प्राप्त की गई। परिवादी श्री प्रभु कुमार के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने पर स्वतंत्र गवाहान से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी की लिखित रिपोर्ट को स्वतंत्र गवाहान के ममक्ष पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने लिखित रिपोर्ट स्वंय की हस्तलिपि में होकर उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होने की ताईद की। दोनां स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर करवाये गये। समय करीब 10.45 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप कुमार कानि द्वारा दिनांक 31.05.2024 को समय करीब 03.24 पीएम पर परिवादी श्री प्रभु कुमार व संदिग्ध श्री मुकेश कानि के मध्य पुलिस थाना सविना पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ताओ की शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर चलाकर ट्रांसक्रिप्ट के तुलनात्मक परिवादी श्री प्रभु कुमार एवं दोनो स्वंतत्र गवाहानों को सुनाई गई तो परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा अन्य आवाज पुलिस थाना सविना के कानि श्री मुकेश की होने की ताईद की तथा उक्त वार्ता से दोनो स्वतंत्र गवाह ने रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि की। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। भ्रनिब्यूरो इकाई उदयपुर से तलबशुदा श्री टीकाराम कानि ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। समय करीब 12.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री प्रभु कुमार से सदिंग्ध श्री मुकेश कानि पुलिस थाना सविना, उदयपुर की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये गये। उपरोक्त प्रस्तुत नोटों के नम्बरो को फर्द में अंकित कर दोनो स्वंतत्र गवाहान से मिलान करवाया गया, स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर द्वारा परिवादी श्री प्रभुलाल की तलाशी लिवाई गई जिसमें परिवादी के पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई वस्तु नही रहने दी। तत्पश्चात श्री टीकाराम कानि. से कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर अखबार बिछा कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 10,000/- रूपयें के समस्त नोटां के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटां को परिवादी द्वारा पहनी हुई पेन्ट में आगे की दांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री राजेश कानि से कार्यालय की आलमारी में से एक नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर तो घोल का रंग रंगहिन रहा, उक्त घोल को उपस्थितिनो को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहिन घोल में टीकाराम कानि. की अंगुलियों व अंगुष्ठ जिन पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुष्ठ को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री टीकाराम कानि. से बाहर नाली में

फिकवा कर उपरोक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद आरोपी के शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें तथा उक्त कार्यवाही में उपस्थित सदस्यो के हाथों को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री टीकाराम कानि. से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई। उक्त कार्यवाही फर्द पेशकशी नोट मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। समय करीब 01.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ट्रेप टीम सदस्यो का आपस में परिचय करवा कर परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने-अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे एवं उक्त ईशारें के बारें में ट्रेप टीम के सदस्यो को अवगत कराया गया एवं परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से श्री राजेश कानि मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के पुलिस थाना सविना की तरफ रवाना कर पीछे पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर व श्री अंकित शर्मा मय सउनि श्री सुरेश कुमार मय सरकारी वाहन मय चालक मय ट्रेपबॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि संसाधन के एवं श्री मोहम्मद जाबीर उनि व कानि श्री दिनेश कुमार को निजी मोटरसाईकिल से एवं श्री चन्द्रकान्त हैडकानि व श्री प्रदीप कानि को निजी वाहन स्कूटी से पुलिस थाना सविना की तरफ रवाना होकर हाडी रानी सर्कल के पास पहुचे , जहाँ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वाहनो को रोड के साईड में खडा करवा कर संदिग्ध श्री मुकेश कानि की लोकेशन जानने के लिये कानि राजेश को हिदायत की जिस पर समय करीब 01.44 पीएम पर परिवादी के मोबाईल का लाउड स्पीकर मोड ऑन कर कॉल करवाया तो संदिग्ध श्री मुकेश कानि ने परिवादी को थाने के बाहर ही आकर मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी को देकर उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना सविना की तरफ रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने वाहनो से एवं कानि श्री राजेश पैदल परिवादी के पीछे-पीछे पुलिस थाना सविना की तरफ रवाना हुए। परिवादी पुलिस थाना सविना के पास स्थित पेट्रोल पम्प पर रोड के किनारे मोटरसाईकिल को खडा कर संदिग्ध मुकेश कानि के इन्तजार में रहा, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के आस-पास एवं कुछ दुरी रखते हुए अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। कुछ समय बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेश कानि ने बताया कि परिवादी ने मेरे पास आकर मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्ड दिया जिसे मैंने बन्द कर अपने पास रखा उसके बाद परिवादी बताया कि "मेरे द्वारा कॉल करने पर मुकेश जी ने उसे सविना रेल्वे क्रासिंग के पास बुलाया है।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेश कानि को परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकल से सविना रेल्वे क्रोसिंग तक जाने व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को पुनः चालू कर परिवादी को देकर संदिग्ध के बताये स्थान पर भेजने हेतु रवाना किया। श्री राजेश कुमार कानि परिवादी के पास पहुच कर उसकी मोटरसाईकिल पर सविना रेल्वे क्रासिंग की तरफ रवाना हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य अपने-अपने वाहनो से उनके पीछे-पीछे रवाना हुए । सविना रेल्वे क्रोसिंग के पास श्री राजेश कानि परिवादी की मोटरसाईकिल से उतर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, श्री राजेश कानि ने बताया कि मैंने आपके आदेशानुसार परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर देकर सविना रेल्वे क्रोसिंग की तरफ रवाना किया है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए, परिवादी सविना रेल्वे क्रोसिंग को क्रास करने के बाद हाडी रानी सर्कल सविना मण्डी जाने वाले रास्ते की तरफ बने छोटे त्रिभुजाकार पार्क के पास पुलिस की वर्दी में खडे पुलिसकर्मी के पास गया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप टीम के आस-पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में रहे। परिवादी ने कुछ समय बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर संदिग्ध द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान मय ट्रेप टीम सदस्य अविलम्ब अपने-अपने वाहनो से परिवादी के पास पहुचे । परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने पुलिसकर्मी की तरफ इशारा कर बताया कि ये ही पुलिस थाना सविना के मुकेश जी है जिन्होने मुझसे अभी-अभी ट्रावेल्स बस को पुलिस थाना से छुडाने वाले फॉर्म को भरकर रिपोर्ट आबकारी विभाग में भेजने की एवज में इनकी मांग अनुसार रिश्वत राशि 10,000/- रुपये ग्रहण कर इनकी मोटरसाईकिल के साईड बैग में रखे है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मी को स्वंय का व हमराहियान का परिचय देकर मनतव्य से अवगत करा उससे उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम पता श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री भुराराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी ज्याणियों का वास, ग्राम पंचायत सुडो का वास भादवा, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण हाल निवासी 4-ए, सम्राट

नगर, तितरडी सविना (श्री देवीलाल पटेल के मकान में किराये पर) उदयपुर हाल कानि. बेल्ट नम्बर 847, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री मुकेश कानि को परिवादी से रिश्वत राशि 10,000/- रूपये ग्रहण करने के संबंध में पुछा तो उसने बताया कि "श्री प्रभु कुमार तीन दिन पहले पुलिस थाना सविना पर इनकी ट्रावेल्स बस जो आबकारी अधिनियम में दर्ज प्रकरण में जप्त की गई है को छुडवाने के लिये आबकारी विभाग उदयपुर द्वारा दिया गया फॉर्म को भेजने के संबंध में जानकारी करने आये थे। मैंने इनसे फॉर्म को भरकर रिपोर्ट आबकारी विभाग भेजने के लिये दस हजार रूपये की मांग की थी जो इन्होने अभी-अभी मुझे दिये है जो मेरी मोटरसाईकिल के साईड बैंग में ही रखे है" उसके बाद श्री मुकेश कानि हाथ जोडकर कहने लगा कि सर मुझसे गलती हो गई है मैं ऐसी गलती दुबारा नही करूंगा ना ही मैं भागुगा। आरोपी के वाहन मोटरसाईकिल हीरो पेशन प्रो रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-DA-9286 बरंग ग्रे के साईड के रेंगजिन बैंग बरंग काला की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अंकित शर्मा कनिष्ठ अभियंता से लिवाई गई तो मोटरसाईकिल के बैंग में 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले जिन्हे स्वतंत्र गवाह श्री अंकित शर्मा से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये होना बताया। जिनका मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु होना पाया गया। रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री अंकित शर्मा के पास सुरक्षित रखवायी गई। मौके पर आम रास्ता होकर भीड-भीड होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी श्री मुकेश के दाहिने हाथ को श्री चन्द्रकान्त हैडकानि से एवं बाये हाथ को कानि श्री दिनेश से कलाई से उपर बाहो से पकडवार यथा स्थित सरकारी वाहन बोलेरो में बैठाया गया। श्री मोहम्मद जाबीर उनि को आरोपी की मोटरसाईकिल को लेकर ब्यूरो चौकी रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अंकित शर्मा मय आरोपी मय जाप्ता सरकारी वाहन से, श्री प्रदीप कानि व स्वतंत्र श्री मांगीलाल बुनकर वाहन स्कूटी से एवं श्री सुरेश कुमार सउनि व श्री राजेश कानि मोटरसाईकिल से ब्यूरो चौकी रवाना हुए। समय करीब 02.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के ब्यूरो चौकी पहुचे । आरोपी श्री मुकेश कानि के दोनो हाथो का एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के वाहन मोटरसाईकल के बैंग का धोवन लिया जाना वांछित होने मे श्री राजेश कानि मे सरकारी वाहन बोलेरो में रखे ट्रेप बॉक्स को मंगवाकर श्री राजेश कानि से ही ट्रेप बॉक्स में रखे साफ प्लास्टिक के दो पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर ब्यूरो कार्यालय में रखे पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलासो में श्री राजेश कानि से ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मुकेश कानि के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया। इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुष्ठ को दूसरे पारदर्शी डिस्पोसल गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग मटमेला जाईदार हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री राजेश कानि0 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर पीने के पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया। उक्त गिलास में श्री राजेश कानि से सोडियम कॉर्बोनेट की शीशी में से एक-एक चम्मच पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे उपस्थितिनो ने स्वीकार किया। स्वतंत्र गवाह श्री मांगीलाल बुनकर से कपडे की एक साफ छिन्दी लेकर रंगहीन घोल की गिलास मे डूबाया गया तब भी गोल का अपरिवर्तित रहा, उसके बाद मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की मोटरसाईकिल के साईड बैंग के अन्दर जहाँ से रिश्वत राशि् बरामद हुई उस स्थान पर कपडे की छिन्दी को घुमाया जाकर कपडे की छिन्दी को रंगहीन घोल में डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी जाईदार हुआ। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क MB-1 व MB-2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अंकित शर्मा के पास रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि 10,000/- के नोटो के नम्बरो को मिलान दोनो गवाहो से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी नोट से करवाया गया तो उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया:- क्र.स. नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 1 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 PA 793326 2 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 SU 980756 3 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 ME 245480 4 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 FC 459798 5 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 NR 927154 6 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 FG 594825 7 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 NR 318677 8 500 रूपये का एक नोट नंबर 4 SF 765840 9 500 रूपये का एक नोट नंबर 1 BH 612538 10 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 NV 942411 11 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 CM 027930 12 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 CM 025411 13 500 रूपये का एक नोट नंबर 7 UB 123827 14 500 रूपये का एक नोट नंबर 3 GM 829386 15 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 WV 025333 16 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 NL 454921 17 500 रूपये का एक नोट नंबर 5 GF 398283 18 500 रूपये का एक

नोट नंबर 4 EC 312041 19 500 रूपये का एक नोट नंबर 9 EA 877007 20 500 रूपये का एक नोट नंबर 8 LE 806193 उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि 500-500 के 20 नोट कुल 10,000/- रुपये को कागज के ड्रार्क पिंक गत्ते में सिलचिट किया जाकर चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत जप्त किया गया। आरोपी के वाहन मोटरसाईकिल हीरो पेशन प्रो रजिस्टेशन नम्बर RJ-14-DA-9286 के साईड के रेंगजिन बैंग बरंग काला से रिश्वत राशि बरामद होने से बैंग को बाईक से खोलकर वजह सबुत जप्त कर बैग पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा सफेद कपडे की थैली में सिलबन्द कर मार्क B अंकित कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। सिलचिटशुदा आर्टिकल्स को ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं फिनोफ्थलीन पाउ्डर एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री मोहम्मद जाबीर उनि, श्री चन्द्रकान्त हैडकानि, कानि श्री राजेश मय आरोपी श्री मुकेश कानि मय आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी लेकर पुलिस थाना सविना पहुचे जहाँ से आबकारी विभाग का फॉर्म जो थाना सविना के प्रकरण संख्या 196/2024 से संबंधित की सत्यापित प्रति एवं उक्त प्रकरण में जप्त शुदा वाहन ट्रावेल्स बस रजिस्टेशन नम्बर आरजे-22-पीए-4579 के मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज की सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त की। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के घटना स्थल सविना रेल्वे क्रोसिंग हाडी रानी सर्कल पहुचा, जहाँ तलबशुदा परिवादी श्री प्रभु कुमार उपस्थित मिला। घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द घटना स्थल मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के वहा से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। समय करीब 06.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री प्रदीप कुमार कानि द्वारा आज दिनांक 03.06.2024 को परिवादी श्री प्रभु कुमार व आरोपी श्री मुकेश कानि के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता एवं वक्त रिश्वत राशि लेन देन रूबरू हुई वार्ता जिन्हे ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, उक्त वार्ताओ की पृथक से शब्द व शब्द ट्रांसक्रिप्ट फर्द में अंकित की जाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर चलाकर ट्रांसक्रिप्ट के तुलनात्मक स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी व आरोपी श्री मुकेश कुमार को सुनाई गई तो उक्त वार्ता में परिवादी व आरोपी ने अपनी अपनी आवाज की पहचान कर आवाज होने की ताईद की एवं परिवादी ने अपनी आवाज के अलावा दुसरी आवाज आरोपी श्री मुकेश कानि की होने की ताईद की। फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन देन वार्ता मुर्तिब की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 08.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री प्रभु कुमार व आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन देन वार्ता के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ताओ को पृथक-पृथक एक पेनड्राईव सेनडिस्क 32 जीबी बरंग लाल व काला एवं दो सीडी (आरोपी सीडी व आईओ सीडी) में कॉपी कर सुरक्षित किया गया। पेनड्राईव में सुरक्षित की गई वार्ताओ की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू लेपटॉप में इनस्टॉल AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। पेनड्राईव को पेनड्राईव के पैकिंग कवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे की थैली में रख सीलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनो सीडीयो पर संबंधितो के हस्ताक्षर करा पृथक-पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में रखकर अनशिल्ड रखे गये। फर्द मुर्तिब व जप्ती पेनड्राईव मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली की गई। समय करीब 08.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री दिनेश कानि द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री प्रभु कुमार व आरोपी श्री मुकेश कुमार कानि के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन देन वार्ता जिन्हे ब्यूरो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डशुदा वार्ताओ की वाईस रिकॉडिंग फाईल की हेशवैल्यू लेपटॉप में इनस्टॉल AccessData FTK Imager सोफ्टवेयर का उपयोग कर निकाली जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड किगस्टन कम्पनी 32 जी.बी. बरंग काला को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर से निकालकर मेमोरी कार्ड के पैकिंग कॅवर में रखकर, कॅवर पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द जप्ती मेमोरी कार्ड मुर्तिब कर मार्क M अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करा शामील पत्रावली की गई। समय करीब 09.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री भुराराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी ज्याणियों का वास, ग्राम पंचायत सुडो का वास भादवा, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि. बेल्ट नम्बर 847, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से धारा 41(1) जा.फौ. की पालना की जाकर नियमानुसार किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी कानि. 847 पुलिस थाना सविना, उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री प्रभु कुमार से पुलिस थाना सविना पर परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 196/2024 में जब्तशुदा ट्रावेल्स बस रजिस्टेशन नम्बर आरजे-22-पीए-4579 को छुडवाने के

लिये आबकारी विभाग द्वारा दिये गये फॉर्म को भरकर रिपोर्ट पुलिस थाना सविना से आबकारी विभाग में भेजने की एवज में रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की मांग कर ग्रहण करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री भुराराम चौधरी, जाति जाट, उम्र 31 वर्ष, निवासी ज्याणियों का वास, ग्राम पंचायत सुडो का वास भादवा, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि. 847, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (राजीव जोशी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों एसयू, उदयपुर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0उदयपुर, ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री भुराराम चौधरी, जाति जाट, निवासी ज्याणियों का वास, ग्राम पंचायत सुडो का वास भादवा, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर ग्रामीण हाल कानि. 847, पुलिस थाना सविना, जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी मशांराम पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसंमद को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 74 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 548-51 दिनांक 05.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANSHA RAM **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/06/2024 19:2

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)